

राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर-302001, राजस्थान



राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme,
Jaipur - 302001, Rajasthan

क्रमांक:—आर.एन.सी. / पी.ए. / एन.आर.टी.एस. / 2024/55

जयपुर, दिनांक 24/12/2024

समर्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/निजी नर्सिंग कॉलेज/स्कूल
राजस्थान

विषय :— राजस्थान में संचालित राजकीय/निजी नर्सिंग कॉलेजों/स्कूलों को NRTS पोर्टल पर जोड़ने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान में संचालित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के नाम NRTS पोर्टल पर जोड़ने हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली का पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके नर्सिंग स्कूल/कॉलेज का नाम NRTS पोर्टल पर जोड़ा जाना है, उक्त के संबंध में आप स्वयं एवं आपने किसी रिपोर्ट को व्यक्तिशः संरक्षा के निम्न दस्तावेजों के साथ 07 दिवस में नर्सिंग कौन्सिल के कमरा नं. 1 (एनआरटीएस सेल) में सम्पर्क करना सुनिश्चित करें जिससे आईएनसी के द्वारा सत्र 2024–25 के लिये उपयुक्तता (Suitability) प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण की कार्यवाही सम्पादित हो सकें :—

चाहे गये दस्तावेजः—

1. राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र
2. भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र
3. आर.एन.सी. से प्राप्त नवीन सम्बद्धता/मान्यता
4. आरयूएचएस से प्राप्त नवीन सम्बद्धता/मान्यता
5. आई.एन.सी. से प्राप्त नवीन सम्बद्धता/मान्यता

(भारती)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 24/12/2024

क्रमांक:—आर.एन.सी. / पी.ए. / एन.आर.टी.एस. / 2024/55

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक (जनस्वारथ), चिकित्सा एवं स्वारथ सेवायें एवं पदेन अध्यक्ष, आईएनसी जयपुर
2. उपाध्यक्ष, भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
3. एनआरटीएस अनुभाग को आपके पत्र के क्रम में।
4. रक्षित पत्रावली।

(रजिस्ट्रार)

राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर